फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– **अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 44 सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.07.2019	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी पीथाराम पुत्र जुवाराराम जाति जाट निवासी सालासर ने वाद पत्र केम्प कोर्ट सालासर में प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पार्वतीसर की जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता खंख्या 127 में खसरा नं 483 का वादी के भतीजे द्वारा दान किया गया था जो इन्तकाल करते समय तीनों खसरें 108,109,483 में दर्ज हो गया। अतः दान पत्र के आदार पर जमाबंदी को दुरूस्त करने के आदेश फरमाये। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का भींमसर भु अभिलेख नि. भींमसर व उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ना. सं. 961 दिनांक 20.12.2018 को पार्वतीसर के खाता खं. 127 खं नं. 108,107,483 का दान पक्ष का नामान्तरण दर्ज हुआ था। उक्त दान पक्ष में ख.न. 483 मे ही दानकर्ताओं द्वारा अपने 1/8 हि0 दान किया था, जो भूलवश सम्पूर्ण खाते में दर्ज हो गया था। ख.न. 483 में दानकर्ताओ द्वारा किये गये दान अनुसार ही किया जाना उचित है। ख.न. 108 व 109 में से गलत दर्ज दान के हिस्से को हटाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दानपत्र व सहकाश्तकारों का सहमति पत्र एंव भू–अभिलेख निरीक्षक सालासर की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पार्वतीसर तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में नया खाता संख्या 127 में दर्ज प्रविष्टि को दानपत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नं. 108 व 109 में गलत दर्ज दानपत्र के हिस्से को विलोपन किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट सालासर में सुनाया गया। 23/07/19 उपखण्ड़ अधिकारी एवं **पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ**	

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ